निर्णयः— प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136, एल.आर..एक्ट
अकतर खां बनाम अरसद वगै0
मिसल नंबरः— 288 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

निर्णय दिनांकः 29.03.2023

पीठासीन अधिकारीः श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 288 / 2022

1. अकतर खां पुत्र मम्मन जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की तहसील सीकरी (भरतपुर) राज0

———वादी

बनाम

1. अरसद
2. इरफान
3. सद्दाम
4. साहिद

पुत्रान मम्मन जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की तहसील सीकरी।

5. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सीकरी।
6. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरू जिला भरतपुर।

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

उपस्थितः—

श्री बृजेशचंद खण्डेलवाल अधिवक्ता वादी।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 66 / 1.08 बाके ग्राम रूस्तमपुर तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 66 / 1.08 बाके ग्राम रूस्तमपुर तहसील सीकरी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता मम्मन की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी को बचपन में घरेलू नाम इब्राहीम उर्फ अकतर खां पुत्र मम्मन के नाम से पुकारते थे जबकि प्रार्थी का असल व सही नाम अकतर खां है। प्रार्थी जब बालिग हुआ तो परिवारजनों ने वादी का नाम अकतर खां पुत्र मम्मन लिखा दिया तथा अब प्रार्थी का नाम अकतर खां पुत्र मम्मन है, तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 1998 की अंकतालिका में अकतर खां पुत्र मम्मन है तथा मतदाता पहचान—पत्र, आधार कार्ड तथा परिवार राशनकार्ड आदि रिकार्ड में अकतर खां पुत्र मम्मन दर्ज है, तथा गांव में इब्राहीम पुत्र मम्मन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तथा अकतर खां उर्फ इब्राहीम पुत्र मम्मन नाम का एक ही व्यक्ति है। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 66 / 1.08 बाके ग्राम रूस्तमपुर की बाबत प्रार्थी का नाम इब्राहीम पुत्र मम्मन के स्थान पर अकतर पुत्र मम्मन जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की शुद्ध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज0

निर्णयः— प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136, एल.आर..एक्ट
अकतर खां बनाम अरसद बगै0
मिसल नंबरः— 288 / 2022

प्रार्थी का प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 05 पैरोकार सरकार ने अपने जबाब में कथन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 66 / 1.08 बाके ग्राम रूस्तमपुर के 31 / 54 हिस्से को प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है, उक्त आराजी की बाबत इब्राहीम पुत्र मम्मन प्रार्थी का नाम वयनामा के आधार पर अंकित हुआ है परन्तु प्रार्थी अकतर खां पुत्र मम्मन को बचपन में इब्राहीम के नाम से पुकारा जाता था एवं गांव में इब्राहीम पुत्र मम्मन नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी अकतर खां पुत्र मम्मन को इब्राहीम के नाम से भी पुकारते हैं। प्रार्थी के पक्ष में गवाह अरसद पुत्र मम्मन, इरफान पुत्र मम्मन, साहिद पुत्र मम्मन, सददाम पुत्र मम्मन ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये। सभी ने अपने शपथ पत्रों मे कथन किया कि अकतर खां पुत्र मम्मन को ही बचपन में इब्राहीम के नाम से ही जाना जाता है तथा अकतर खां को ही इब्राहीम के नाम से जाना जाता है।

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट एवं गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार सीकरी ने भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि गांव में इब्राहीम को ही अकतर खां के नाम से पुकारा जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 66 / 1.08 बाके ग्राम रूस्तमपुर तहसील सीकरी के 31 / 54 हिस्से की बाबत दर्ज प्रार्थी का नाम इब्राहीम पुत्र मम्मन जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की के स्थान पर प्रार्थी का नाम अकतर खां पुत्र मम्मन जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की तहसील सीकरी शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)